कार्यपालिक सारांश

इस प्रतिवेदन के बारे में

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की यह रिपोर्ट राजस्थान सरकार के चयनित विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा में उजागर हुए मामलों से सम्बंधित है। अनुपालन लेखापरीक्षा, राजस्व मूल्यांकन, संग्रहण और समुचित आवंटन पर प्रभावी जाँच के लिए नियम एवं प्रक्रियाएं डिज़ाइन करने तथा लेखापरीक्षित इकाइयों के व्ययों से सम्बंधित लेनदेनों की जाँच से संदर्भित है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत के संविधान, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी विभिन्न आदेशों एवं निर्देशों के प्रावधानों की अनुपालना की जा रही है।

यह रिपोर्ट दो भागों में है। **भाग–क** में राजस्व अर्जित करने वाले विभागों यथा वाणिज्यिक कर, भू-राजस्व, पंजीयन एवं मुद्रांक तथा राज्य आबकारी की लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई लेखापरीक्षा प्रेक्षण सम्मिलित हैं, और **भाग–ख** में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा किए गए व्यय से संबंधित लेखापरीक्षा प्रेक्षण सम्मिलित हैं। इस रिपोर्ट में नौ अनुच्छेद हैं, जिनमें ₹ 444.05 करोड़ की राशि अन्तर्निहित है। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं।

भाग कः राजस्व

इस भाग में सात अनुच्छेद हैं जिनमें ₹441.92 करोड़ अन्तर्निहित हैं। इसमें वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित 'जीएसटी भुगतान और रिटर्न फाइलिंग पर विभाग की निगरानी' पर एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा एवं 'अचल सम्पतियों के बाजार मूल्य के निर्धारण की प्रक्रिया' पर एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा सम्मिलित है। इस प्रतिवेदन में सम्मिलित कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का उल्लेख नीचे किया गया हैः

माल एवं सेवा कर

'जीएसटी भुगतान और रिटर्न फाइलिंग पर विभाग की निगरानी' पर एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा निष्पादित की गयी। पाई गई मुख्य अनियमितताएं निम्न प्रकार हैंः

विवरणियों के जांच की गति धीमी थी क्योंकि सितंबर 2021 में बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट (बीआईयू) के गठन के बाद, इकाई ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से संबंधित 9,288 उच्च जोखिम वाले करदाताओं को जांच के लिए चयनित किया, इनमें से केवल 2,535 मामलों (27.29 प्रतिशत) की अगस्त 2022 तक जांच की गई थी। यह भी देखा गया कि विभाग द्वारा विवरणियों की जांच के लिए समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। कर प्राधिकारियों द्वारा बिजनेस लेखापरीक्षा करने में विलम्ब था, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2020-21 के लिये बिजनेस लेखापरीक्षा अभी तक शुरू होनी थी। 2017-18 के लिये चिन्हित सभी प्रकरणों की भी लेखापरीक्षा नहीं की गयी थी जबकि 2018-19 के पांच प्रतिशत से भी कम प्रकरणों की

लेखापरीक्षा की गयी थी। तीन वृत्तों (अपेक्षित सूचना 21 में से तीन वृत्तों द्वारा उपलब्ध कराई गई थी) में 878 करदाताओं (52.39 प्रतिशत) द्वारा फॉर्म जीएसटीआर-3ए में नोटिस जारी किए जाने के बाद भी उपयुक्त विवरणी दाखिल नहीं की गई थी। तथापि, क्षेत्राधिकारियों ने इन प्रकरणों में निर्धारण एवं पंजीयन निरस्त करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की थी। पंजीकरण रद्द करने के बाद जीएसटीआर-10 न भरने पर कार्यवाही का अभाव पाया गया क्योंकि रद्द किए गए इन पंजीकरणों में से लेखापरीक्षा की तिथि तक निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भी अंतिम विवरणी, जीएसटीआर-10 दाखिल नहीं करने वाले 4901 करदाताओं के विरूद्ध क्षेत्राधिकारीयों द्वारा कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी।

केन्द्रीकृत लेखापरीक्षा में, लेखापरीक्षा ने ₹ 272.59 करोड़ की राशि के 323 प्रकरणों में आरजीएसटी अधिनियम के प्रावधानों से विचलन पाया गया, जो कि डेटा में 605 विसंगतियों/मिसमैच का 53.39 प्रतिशत था, जिसके लिए विभाग ने प्रत्युत्तर दिये । जोखिम मापदण्डों जैसे कि आईटीसी का अधिक लाभ लिया जाना, कर योग्य मूल्य की कम घोषणा और आरसीएम पर आईटीसी का अधिक लाभ लिया जाना में विचलनों की अपेक्षाकृत उच्च दर देखी गयी। 39 करदाताओं के 123 प्रकरणों में देखा गया, जो कि लेखापरीक्षा किए गए 100 करदाताओं का 39 प्रतिशत था, कि करदाताओं ने या तो अपनी विवरणियो को देरी से दाखिल किया था या गलत तरीके से आईटीसी क्रेडिट का लाभ उठाया और उपयोग में लिया, जिसका कि वापिस भुगतान किया गया लेकिन ब्याज की राशि ₹ 6.50 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया । सात प्रकरणों में करदाताओं ने ₹ 1.44 करोड़ की अपात्र आईटीसी का लाभ उठाया, कमियाँ मुख्य रूप से उन माल और सेवाओं की आपूर्ति पर आईटीसी प्राप्त करने के कारण थी जिनका उपयोग उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए नहीं था और अवरुद्ध माल पर क्रेडिट प्राप्ति के कारण था । नौ प्रकरणों में करदाताओं द्वारा आरजीएसटी अधिनियम के नियम 42 को गलत लागू करने के कारण ₹ 3.44 करोड़ आगत कर को रिवर्स नहीं किया गया था । लेखापरीक्षा के दौरान जांच किए गए 100 प्रकरणों में से 49 प्रकरणों में ₹ 9.75 करोड़ की कर देयता के विचलन/मिसमैच देखे गए। ये कमियां मुख्य रूप से जीएसटीआर 1 एवं जीएसटीआर 9/3बी में भुगतान किए गए कर के बीच मिसमैच होने के कारण हुई थीं । इस उद्देश्य के लिए जीएसटीआर 1 एवं 9 में घोषित संशोधनों तथा अग्रिम समायोजनों पर भी विचार किया गया। 100 करदाताओं के लेखापरीक्षा नमूने में से 82 करदाताओं द्वारा जीएसटीआर-2ए में उपलब्ध आईटीसी की तुलना में मासिक/वार्षिक विवरणी में अधिक आईटीसी का उपभोग किया गया । इन आक्षेपों में प्राप्त आईटीसी में मिसमैच ₹ 0.02 लाख से ₹ 11,635.15 लाख तक है जो कुल ₹ 25,902.69 लाख है ।

लेखा परीक्षा की सिफारिश है कि सरकार/विभाग इस पर विचार कर सकता है:

- **विभाग समयबद्ध तरीके से विवरणी की जांच सुनिश्चित करने के लिए समय-सीमा निर्धारित कर सकता है और निगरानी तंत्र को सुदृढ़ कर सकता है । विभाग ऐसी जांच के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण का उपलब्ध संसाधनों/क्षमता के साथ उपयोग करके जांच के लिए चिन्हित किये गए प्रकरणों की संख्या को बेहतर ढंग से संरेखित कर सकता है ।**

- **विभाग को शेष लेखापरीक्षा करने के लिए शीघ्र कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि चूककर्ताओं के खिलाफ समय पर कार्यवाही शुरू की जा सके और वसूली, यदि कोई हो, तो की जा सके ।**

- ***विभाग राजस्व की किसी भी हानि से बचने के लिए लेखापरीक्षा को अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध करा सकता है तथा अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इसी प्रकार के प्रकरणों की जांच कर सकता है ।***

- ***इस प्रतिवेदन में लाए गए अनुपालना के सभी विचलनों के अवधि-पार होने के पूर्व ही विभाग द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही आरम्भ की जा सकती है ।***

भू-राजस्व

कार्यालय द्वारा भू-राजस्व विभाग की 74 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गयी । पायी गयी मुख्य अनियमिततायें हैः

➢ उचित डीएलसी दर न अपनाने, संपरिवर्तन शुल्क में अनियमित छूट तथा संपरिवर्तन के बाद भूमि के अनाधिकृत उपयोग के कारण संपरिवर्तन शुल्क की कम वसूली ।

मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

"अचल सम्पतियों के बाजार मूल्य के निर्धारण की प्रक्रिया" पर एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा निष्पादित की गयी । पाई गई मुख्य अनियमितताएं निम्न प्रकार हैं:

कम्पनी के समामेलन दस्तावेज के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 1.45 करोड़ का कम आरोपण हुआ । उप पंजीयक ने विकासकर्ता अनुबंध के विवरण में मौजूद तथ्यों का संज्ञान नहीं लिया, जिसके परिणामस्वरूप सम्पति की प्रतिफल राशि ₹ 10.89 करोड़ पर मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 86.25 लाख का कम आरोपण हुआ । जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी लीज विलेख के विवरण में बताये गये तथ्यों पर विचार नहीं करने के परिणामस्वरूप मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 25.36 लाख का अनारोपण हुआ। *कृषि उपज मंडी समिति* द्वारा जारी विनिमय लीज विलेख कन्वेयंस के रूप में वर्गीकृत किये जाने चाहिए थे तथा तदनुसार ही बाजार मूल्य ₹ 19.79 करोड़ पर मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 1.64 करोड़ आरोपणीय थे । तथापि, उप पंजीयकों ने निर्धारित मूल्य ₹ 6.40 करोड़ पर मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 0.48 करोड़ आरोपित किये जिसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 1.16 करोड़ का कम आरोपण हुआ । प्रभावशील मौका निरीक्षणों के अभाव में सम्बंधित उप पंजीयकों नें मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 4.54 करोड़ के स्थान पर ₹ 2.94 करोड़ आरोपित किये जिसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 1.60 करोड़ का कम आरोपण हुआ । नियमों और प्रक्रियाओं की पालना ना करने तथा गलत/जाली चालानों के उपयोग को रोकने के लिए *ई-पंजीयन* प्रणाली की असमर्थता के परिणामस्वरूप राशि ₹ 1.45 करोड़ की राजस्व हानि हुई ।

राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि :

- ***ई-पंजीयन प्रणाली में विभिन्न श्रेणियों की भूमियों के खसरा संख्याओं के लिए लागू जिला स्तरीय समिति की दरों के साथ सम्बद्धन सुनिश्चित करना ।***
- ***राजस्व की छीजत को रोकने के लिए पंजीयन प्राधिकारियों द्वारा अचल सम्पतियों के प्रभावी मौका निरीक्षणों को सुनिश्चित करना ।***
- ***उप पंजीयक कार्यालयों में स्थापित प्रक्रियाओं की अनुपालना सुनिश्चित करना तथा ई-पंजीयन प्रणाली की कमजोरियों को दूर करना, विशेष रूप से शुल्क के भुगतान से संबंधित, ताकि सरकार को होने वाली राजस्व हानि को रोका जा सके ।***
- ***लोगों की सुविधा के साथ-साथ भुगतान की सुरक्षा एवं प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए भुगतान के विकल्पों में से एक के रूप में ई-पंजीयन प्रणाली में भुगतान गेटवे को लागू करना ।***

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के अलावा निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गयीं:

- राजस्थान निवेश संवर्धन योजना के तहत दो प्रकरणों में मुद्रांक कर तथा सरचार्ज की अनियमित छूट की कुल राशि ₹ 66.87 लाख तथा ब्याज राशि ₹ 31.54 लाख वसूलनीय थी ।
- उप पंजीयक सम्बंधित दस्तावेजों को ध्यान में रखने में विफल रहा जिससे साझेदारी विलेख का दस्तावेज मुद्रांक कर ₹ 5,000 मात्र से नोटेराइज्ड था जिसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर तथा सरचार्ज ₹ 2.83 करोड़ का कम आरोपण रहा ।
- पंजीयन प्राधिकारियों द्वारा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के अभिलेखों के प्रभावी निरीक्षण में असमर्थता के परिणामस्वरूप विकासकर्ता अनुबंध दस्तावेज पर मुद्रांक कर तथा सरचार्ज ₹ 1.15 करोड़ का कम आरोपण हुआ ।

राज्य आबकारी

राज्य आबकारी शुल्क के आरोपण तथा संग्रहण पर अनुपालन लेखापरीक्षा निष्पादित की गयी । राजस्थान राज्य आबकारी एवं मद्य संयम नीति (नीति) 2020-21 के प्रावधानों की अनुपालना में पायी गई मुख्य अनियमितताएं निम्न प्रकार हैं:

- जिला आबकारी अधिकारियों ने नीति के प्रावधानों को लागू नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा के कम उठाए गए मासिक गारंटी कोटा पर आबकारी शुल्क ₹ 23.88 करोड़ का कम राजस्व संग्रहण हुआ।

- जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा नीति के प्रावधानों को लागू न करने के कारण आबकारी शुल्क एवं बेसिक लाइसेंस फीस की अंतर राशि ₹ 24.65 करोड़ का कम राजस्व संग्रहण हुआ।

- आबकारी आयुक्त के लागू दिशा-निर्देशों की अनुपालना न होने के परिणामस्वरुप रिटेल-ऑन व रिटेल-ऑफ अनुज्ञाधारियों से भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर पर अतिरिक्त आबकारी शुल्क की अंतर राशि ₹ 72.88 करोड़ की अवसूली रही ।

- जिला आबकारी अधिकारियों ने नीति के प्रावधानों को लागू नही किया तथा आबकारी आयुक्त के निर्देशों का पालन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर की कम उठायी गयी मात्रा पर अतिरिक्त राशि ₹ 15.25 करोड़ की अवसूली रही ।

- जिला आबकारी अधिकारियों के द्वारा नियम/अधिसूचना के विद्यमान प्रावधानों की अनुपालना न कर पाने से रेस्टोरेंट बार लाइसेंसधारियों से लाइसेंस फीस ₹ 77.50 लाख की कम वसूली रही ।

भाग खः अनुपालन लेखापरीक्षा

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा किए गए व्यय क्षेत्र से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ है ।

प्रतिवेदन के इस भाग में, युवा मामले एवं खेल विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बंधित ₹ 2.13 करोड़ की राशि के दो अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद शामिल हैं ।

युवा मामले एवं खेल विभाग

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद परिषद द्वारा स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक टारगेट स्कोरिंग प्रणाली का क्रय बहुत ही अकुशलता से किया गया था, क्योंकि प्रत्येक चरण में निर्णय लेने में बहुत समय लिया गया। युवा मामले एवं खेल विभाग की क्रय क्षमता की कमी के कारण क्रय प्रक्रिया में भी अत्यन्त कुप्रबंधन हुआ ।

चिकित्सा शिक्षा विभाग

चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा समय पर कार्यवाही करने में विफलता के परिणामस्वरूप सरकारी बकाया राशि ₹ 2.13 करोड़ की वसूली का अभाव ।